

(Public Hearing Minutes of Meeting)

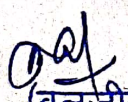
पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु जनसुनवाई दिनांक 12.06.2026 का

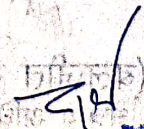
कार्यवृत्त

मैसर्स शिवचरण जाट पुत्र श्री बद्रीलाल जाट द्वारा प्रस्तावित क्लस्टरमय रिवर सैंड (बजरी) (अप्रधान खनिज) खनन परियोजना, एम.एल. संख्या / प्लॉट संख्या-03, परियोजना क्षेत्रफल 36.05 हेक्टेयर, प्रस्तावित उत्पादन क्षमता - 1023907.5 टीपीए (आरओएम) निकट ग्राम-टोरडा, तहसील- चौथ का बरवाड़ा, जिला- सवाई माधोपुर, (राजस्थान) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक पर्यावरणीयजन सुनवाई दिनांक 12.06.2026 को प्रातः 11:00 बजे ग्राम पंचायत - भगवतगढ़ के 'भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र', ग्राम टोरडा, ग्राम पंचायत भगवतगढ़, तहसील- चौथ का बरवाड़ा, जिला - सवाई माधोपुर में श्री संजय शर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर (जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के प्रतिनिधी) एवं श्री बलजीत मीणा, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सवाईमाधोपुर की उपस्थिति में आयोजित की गई। जनसुनवाई के दौरान 33 लोग उपस्थित रहे। (उपस्थिति पत्र "परिशिष्ट अ" पर संलग्न है)।

जनसुनवाई हेतु आम सूचना इंडियन एक्सप्रेस में दिनांक 30.04.2026 एवं दैनिक भास्कर में दिनांक 30.04.2026 को प्रकाशित की गई थी एवं मुनादी एक दिवस पूर्व दिनांक 11.06.2026 को ग्राम पंचायत - भगवतगढ़ एवं ग्राम - टोरडा में करवाई गई।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, श्री बलजीत मीणा, द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर एवं उपस्थित आमजन का स्वागत करते हुए बताया कि आज की जनसुनवाई ग्राम -टोरडा में प्रस्तावित क्लस्टरमय रिवर सैंड (बजरी) (अप्रधान खनिज) खनन परियोजना के खनन पट्टा प्लॉट न. 03 के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत


(बलजीत मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सवाई माधोपुर


(अति. जिला कलेक्टर)
सवाई माधोपुर

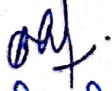
यह जनसुनवाई आयोजित कि जा रही है। जिसमें खनन परियोजना पर्यावरणीय सलाहकार आपको परियोजना के बारे में विस्तार से बताएंगे जिसके उपरान्त इस परियोजना से सम्बन्धित आपके सुझाव एवं आपत्तियाँ ली जाएंगी, जो आप केमरें के सामने मौखिक या लिखित दे सकते हैं।

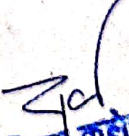
समूह खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार कॉसमॉस एनवायरो कंसल्टेंसी की प्रतिनिधि द्वारा पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जन सुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारीगण, ग्रामवासियों/व्यक्तियों को प्रस्तावित खनन परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।

इस संबंध में उन्होंने बताया की यह खनन परियोजना नदीतलरेत (बजरी) खनन के लिए प्रस्तावित है जो कि ग्राम टोरडा, तहसील- चौथ का बरवाड़ा, जिला- सवाई माधोपुर में स्थित है। उक्त खनन परियोजना में कुल 2 खनन ईकाईयाँ हैं जिसका कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 84.25 हेक्टेयर एवं कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता—19,00,670.63 टीपीए (आर.ओ.एम.) हैं।

तत्पश्चात् परियोजना सलाहकार द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया जिसमें परियोजना की स्थिति, विवरण, लोकेशन मैप, खनन पट्टे की गूगल इमेजरी, क्लस्टर विवरण, क्लस्टर प्रमाण-पत्र, 500 मीटर परिधि नक्शा, जनसुनवाई हेतु समाचार पत्र विज्ञापन, परियोजना की मुख्य विशेषताएँ, खनन विधि, क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिति, चरणवार भूमि उपयोग, हरित पट्टा विकास, पर्यावरण प्रबंधन योजना (वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण), पर्यावरण प्रबंधन योजना हेतु बजट, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा श्रमिक कल्याण संबंधी प्रस्तावित कार्यों की जानकारी दी गई। विशेष रूप से बेसलाइन डेटा जनरेशन अध्ययन अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 तक (मानसून के बाद) किया गया था।

प्रस्तुतीकरण के दौरान क्षेत्रीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा प्रश्न पूछे गए। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने पूछा कि प्रस्तावित परियोजना की लागत एवं क्लस्टर परियोजना की कुल लागत में क्या अंतर है? परियोजना सलाहकार द्वारा बताया गया कि इस क्लस्टर में दो परियोजनाएँ हैं। मुख्य परियोजना प्रस्तावक श्री शिवचरण जाट पुत्र श्री बद्रीलाल जाट की परियोजना की अनुमानित लागत 9.45 करोड़ रुपये है, जबकि मेसर्स रोहित मिनरल्स सहित पूरे क्लस्टर की कुल लागत 19.45 करोड़ रुपये है।


(बलजीत मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सवाई माधोपुर

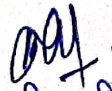

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर
(आपसी नज़र)
जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

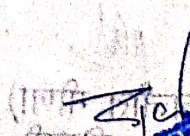
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा परामर्शदाता से पूछा गया कि कितने क्षेत्र में पौधारोपण करेगे एवं बजरी जो निकालेंगे वो कितनी गहराई तक निकालेंगे इस तरह से ग्राम वासियों को बताईये इसके उपरान्त परियोजना सलाहकार द्वारा बताया गया की 26.0040 हेक्टेयर में बजरी निकालेंगे एवं लगभग 10 हेक्टेयर में पौधारोपण के लिए दिया हुआ है लेकिन बनास नदी में पेड़े पौधे नहीं लगा पायेंगे इसलिए अधिकतम पौधारोपण सड़क किनारे किया जायेगा।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा परामर्शदाता से पुनः पूछा गया कि किनारे प्रस्तावित वृक्षारोपण की जीवित रहने की दर (survival rate) सुनिश्चित करने के लिए क्या योजना है? उन्होंने कहा कि या तो आप पंचायत से समन्वय करें। यदि चरागाह भूमि हो, पंचायत की खाली भूमि हो या पंचायत की कोई निजी भूमि हो तो वहाँ वृक्षारोपण करवाया जा सकता है। यदि आप इधर-उधर यूं ही पेड़ लगा देंगे तो किसी की देखभाल नहीं होगी। इसलिए या तो पंचायत से उचित चर्चा करके पेड़ लगाएँ या तारबंदी करवाएँ। परियोजना प्रस्तावक के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि वृक्षारोपण के लिए ग्राम पंचायत से पूर्व में ही NOC प्राप्त कर ली गई है। सरपंच श्री (नरेन्द्र सिंह) द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि प्रस्तावक ने चरागाह भूमि से NOC ले लिया है। वृक्षारोपण के लिए आवश्यक पानी की व्यवस्था का ध्यान परियोजना प्रस्तावक द्वारा रखा जाएगा।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सरपंच को सुझाव दिया गया कि वृक्षारोपण को सफल बनाने एवं पौधों की जीवित रहने की दर सुनिश्चित करने के लिए समस्त ग्रामवासियों तथा सरपंच को सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। केवल तभी पेड़ लगाए जा सकेंगे और वे बच पाएंगे। अन्यथा पेड़ लगा देने के बाद भी उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पर्यावरण सलाहकार से पूछा गया कि आप CSR गतिविधियों के अंतर्गत क्या कार्य करवाएंगे? पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि परियोजना प्रस्तावक ग्राम पंचायत से परामर्श करके आसपास की गाँव की आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करवाएंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह भी आश्वासन दिया गया कि सरपंच साहब के सुझाव के अनुसार गाँव के विकास के लिए आवश्यक कार्य किए जाएंगे। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा परियोजना प्रस्तावक को सलाह दी गई कि स्कूलों में जहाँ आवश्यकता हो, गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, आंगनवाड़ी केंद्र अथवा अन्य जनहित के कार्यों के लिए CSR मद से कार्य करवाएँ। उन्होंने सरपंच को भी निर्देश दिया कि गाँव के विकास हेतु जहाँ भी आवश्यकता हो, वे परियोजना प्रस्तावक से कार्य करवाएँ। परियोजना


(बलजीत मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
मवाई माधोपुर


अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
मवाई माधोपुर

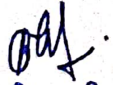
प्रस्तावक द्वारा आश्वासन दिया गया कि मंदिर के विकास हेतु आवश्यक कार्य सरपंच साहब से समन्वय कर CSR गतिविधियों के अंतर्गत करवाए जाएंगे।

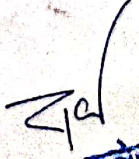
गूगल इमेजरी देखते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने पूछा कि क्या यह परियोजना नदी की तल (river bed) में स्थित है? परियोजना सलाहकार द्वारा स्पष्ट किया गया कि हाँ, परियोजना नदी की तल पर है, किन्तु खनन कार्य केवल नदी की बाहरी साइड से ही किया जाएगा तथा नदी की मुख्य धारा को प्रभावित नहीं किया जाएगा। उसी दौरान क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पूछा गया कि लीज क्षेत्र के मध्य में टापू जैसा क्षेत्र है क्या? परियोजना सलाहकार द्वारा बताया गया कि हाँ, लीज के बीच टापू जैसा क्षेत्र है जिसमें एक मंदिर स्थित है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा पूछा गया कि इस धार्मिक स्थल पर प्रस्तावित परियोजना का कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? परियोजना सलाहकार द्वारा बताया गया कि यह बजरी खनन है जिसमें ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग नहीं होगी, अतः मंदिर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा धार्मिक स्थान के विकास हेतु निर्देशित करने पर परियोजना के पर्यायोजना सलाहकार द्वारा सहमती दर्ज करवाई।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पूछा गया कि प्रस्तावित खनन पिट की गहराई 1.75 मीटर है, जो काफी अधिक है, अतः स्थानीय लोगों एवं जीव-जंतुओं की सुरक्षा के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? परियोजना सलाहकार द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर बैरियर बनाया जाएगा ताकि किसी की अनधिकृत प्रवेश न हो सके तथा मजदूरों की सुरक्षा के लिए PPE किट प्रदान किए जाएंगे। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिया गया कि खनन कार्य माइनिंग प्लान के अनुसार बैंच बनाकर किया जाए ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पुछा गया कि आपने पौधारोपण के लिए कितना क्षेत्रफल लिया है? एवं उसमें कितने पौधे लगेंगे। परियोजना सलाहकार द्वारा बताया गया कि पौधारोपण के लिए 11 हेक्टेयर क्षेत्रफल लिया है जिसमें लगभग 5000 पौधे लगेंगे। क्षेत्रीय अधिकारी ने पौधों के सुरक्षा उपाय एवं रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए कहा गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए बताया गया कि यह प्रस्ताव सरकारी प्रक्रिया के तहत बनास नदी से बजरी निकालने का है तथा अधिकतम 7 फीट से ज्यादा गहराई कहीं भी नहीं खोदी जाएगी। यदि किसी को कोई आपत्ति या सुझाव


(बलजीत मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सवाई माधोपुर


अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

(गणेश मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी

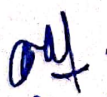
हो तो वह लिखित या मौखिक रूप से प्रस्तुत कर सकता है, जिस पर विचार करके उचित कार्यवाही की जाएगी।

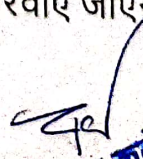
श्री प्रेम राज, झोपड़ा गांव के निवासी, ने प्रस्तुतीकरण सुनने के उपरांत परियोजना को लेकर अपना सकारात्मक प्रतिसाद देते हुए कहा कि यह बढ़िया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा पुनः पुष्टि किए जाने पर उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके गांव में उनको बजरी खनन पर उनको कोई आपत्ति नहीं है।

नरसी मीणा (कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत, भगवतगढ़) ने आपत्ति जताते हुए कहा कि जिस गांव का यह परियोजना है, उस टोरड़ा गांव का कोई भी व्यक्ति इस जन सुनवाई में उपस्थित नहीं है। इसके बाद अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पुछा गया कि जनसुनवाई के बारे में आप लोगो को बताया गया था या नहीं बताया गया था इसके उपरान्त सड़क क्षेत्रीय अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि टोरड़ा एवं भगवतगढ़ गांव में जन सुनवाई से एक दिन पहले मुनादी कराई गई थी तथा 30 अप्रैल 2026 को इंडियन एक्सप्रेस एवं दैनिक भास्कर समाचार पत्रों में जन सुनवाई का विज्ञापन भी प्रकाशित किया गया था। उन्होंने कहा कि टोरड़ा गांव में जनसुनवाई हेतु पर्याप्त सुविधा उपलब्ध ना हो इसलिए जिला प्रशासन द्वारा इस स्थल "भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र, भगवतगढ़" का चयन किया गया है तथा सूचना का प्रचार-प्रसार उचित रूप से किया गया था।

तत्पश्चात् भगवतगढ़ गांव के श्री सूरजमल शर्मा ने पूछा कि जहां पहाड़ पर मंदिर स्थित है, उसका विकास होना चाहिए, न कि आसपास से मिट्टी व बजरी खोदकर गड्ढे करके चले जाना चाहिए। परियोजना प्रस्तावक ने आश्वासन दिया कि वे मंदिर के विकास का कार्य करवाएंगे। उसी ग्रामवासी ने आगे पूछा कि क्या वे पूरा क्षेत्र इधर से उधर तक खोद देंगे। क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने आश्वासन देते हुए कहा कि वे निर्धारित सीमा से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसा करना उनके लिए अवैध खनन होगा और सरकार द्वारा उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान समय में सभी खदानों का डिमार्केशन किया जाता है, अतः उन्हें केवल आवंटित लीज क्षेत्र के अंदर ही खनन करना है; सीमा से बाहर जाने पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

श्री रामविलास गुर्जर (जो परियोजना प्रस्तावक के साझेदार हैं) ने स्वयं ही इस संबंध में आश्वासन देते हुए कहा कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा CSR के अंतर्गत स्कूल, मेडिकल, आंगनवाड़ी, मशीनरी तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं हेतु सभी कार्य करवाए जाएंगे।


(बलजीत मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
सवाई माधोपुर


अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

भगवतगढ़ गांव के श्री संजय कुमार आर्य ने पूछा कि हमारे गांव में कई लोग मजदूरी व खनन कार्य करके रोजगार प्राप्त करते हैं, क्या यह परियोजना शुरू होने से उनके रोजगार पर कोई प्रतिबंध लग जाएगा? अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने स्पष्ट करते हुए कहा कि "बंध तो कुछ नहीं होता है। वर्तमान में आपके गांवों में अनेक स्थानों पर अवैध खनन चल रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि बजरी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इन अवैध खदानों को कानूनी रूप से संचालित किया जाए, ताकि खनन पट्टा प्राप्त करने वाले व्यक्ति निर्धारित क्षेत्र से बाहर खुदाई न कर सकें।" उसी स्थानीय निवासी ने आगे पूछा कि लोकल लोगों के लिए बजरी के संबंध में कोई प्रावधान होना चाहिए। इस पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने उत्तर दिया कि लोकल लोगों के लिए प्रावधान रहेगा ही, हमेशा रहता है, किंतु सरकार द्वारा बजरी के लिए निर्धारित न्यूनतम दर सभी को देनी पड़ेगी।

अंत में क्षेत्रीय अधिकारी ने सुझाव देते हुए कहा कि कानूनी तौर पर की गई खनन योजनाओं को हमें बढ़ावा देना और उनका साथ देना चाहिए ताकि इससे सरकार के पास राजस्व उत्पन्न हो और उसी आय से आपके गांवों स्कूलों, सरकारी भवन एवं सड़कों इत्यादि का विकास हो।

इसी के साथ क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सवाई माधोपुर द्वारा जन सुनवाई के दौरान उपस्थित ग्रामवासियों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद के साथ अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अनुमति से पर्यावरणीय जनसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

(बलजीत मीणा)

क्षेत्रीय अधिकारी

सवाई माधोपुर

(संजय शर्मा)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

सवाई माधोपुर

([गणित मीणा])

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

सवाई माधोपुर



जन सुनवाई हेतु नामित पदाधिकारियों, ग्रामवासी / जनप्रतिनिधियों का उपस्थिति पत्र

मैसर्स श्री शिवचरण जाट पुत्र बद्रीलाल जाट द्वारा प्रस्तावित बजरी (River Sand) खनन परियोजना, मैसर्स श्री शिवचरण जाट खनन पट्टा प्लॉट न. 03, एरिया 36.05 हैक्टर, उत्पादन क्षमता - 1023907.5 टन (ROM), कलस्टर क्षेत्रफल - 84.25 हैक्टर, निकट ग्राम- टोरडा, तहसील - चौथ का बरवाड़ा व जिला - सवाई माधोपुर, (राजस्थान) में स्थित परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 12.06.2026 को आयोजित जनसुनवाई की बैठक।

जनसुनवाई स्थल :- ग्राम - टोरडा, ग्राम पंचायत - भगवतगढ़ तहसील - चौथ का बरवाड़ा, जिला - सवाई माधोपुर. के "भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र"।

दिनांक : 12.06.2026.

समय : प्रातः 11.00 बजे।

उपस्थिति पत्र

क्र.स.	नाम	पद नाम / कार्यालय / ग्राम	मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
1.	राजेश शर्मा	ADM	9982323246	[Signature]
2.	नीरज शर्मा	TOR, CHS	7042831975	[Signature]
3.	Balraj Meena	Ro, RSP CB, Sunn	9461239662	[Signature]
4.				
5.				
6.	राम कुमार गुप्ता	JEE, RSP CB	8209010515	[Signature]
7.	[Signature]	उपनिर्देशक भगवतगढ़	9784635543	[Signature]

8.	शिवचरण	शिवाङ	7976146122	Shivach
9.	देवराज	देराज	8739927612	Devraj
10.	RANBEER	देराज		RANBEER
11.	रामराज	देराज		रामराज
12.	रामराज	शिवाङ	6376035813	रामराज
13.	नरेश्वर	क. म. च.	9928446454	नरेश्वर
14.	अशोक	V. D D	8830405004	अशोक
15.	मिथाराम	बिन्नामी	9982740694	मिथाराम
16.	जगदीश	देराज		जगदीश
17.	शुभराज	देराज	88751932	शुभराज
18.	विक्रम	देराज	7878308003	विक्रम
19.	संजय राजगिरि	जगदीश	9950103925	संजय राजगिरि
20.	दिलरुश	देराज		दिलरुश
21.	पुमराज	देराज		पुमराज
22.	देवकिशोर	देराज		देवकिशोर
23.	रमेश्वर	देराज		रमेश्वर
24.	वन्दीश	मामराज	9952019122	वन्दीश

25.	20 લોત સી માવદાર	885486332	240
26.	કોમ્પ્યુટર રજા કાલદાસ	7891764180	કોમ્પ્યુટર
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			

42.	शिव-चरण जाट	भरतपुर	7976882008	<u>Shiv</u>
43.	सुमिलामाहेश्वरी विनयादी		8003011690	सुमिलामाहेश्वरी
44.	सुरज भलशाल मंगलकाठ		7424840809	सुरज भलशाल
45.	Shanshank & Jay	Samsamshank	9444030328	<u>Shanshank</u>
46.	शोभा-चन्द मंगलकाठ	मंगलकाठ	9413505952	<u>Shobha</u>
47.	Sikku	Jainu	7727862633	<u>Sikku</u>
48.	Jatish Yadav	CEC Jaipur	7742765076	<u>Jatish</u>
49.	Enashree Bhaumick	CEC Jaipur	9429039859	<u>Enashree</u>
50.	Dr Preeti Sharma	CEC Jaipur	8619560934	<u>Preeti</u>

सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने से हादसे की आशंका है।

डूबने से की गई। न चेतावनी की कोई बाद भी व्यवस्था की गई। ही लिया। स्थानीय लोगों का कहना है जाम किए कि जल्द जरूरी सुरक्षा उपाय नहीं वालों को हुए तो आगे और बड़े हादसे हो व्यवस्था सकते हैं।

गर्ग की ट्रायल गंगापुर में 3 को

में भाग लेने चयनकर्ता के रूप में पूर्व रणजी डेयों को अपने खिलाड़ी अमरसिंह नेगी मौजूद साथ लाना रहेंगे। उनके साथ नरेंद्र शर्मा गोपा। इसमें और अरुण चौधरी भी चयन प्रमाण पत्र, प्रक्रिया में शामिल रहेंगे। उन्होंने बताया कि ग्राउंड छले तीन वर्षों मैनेजमेंट की जिम्मेदारी ज्वाइंट तथा राजस्थान सेक्रेटरी सूर्य प्रकाश शर्मा, रवि न (आरसीए) गुर्जर, आरसीए स्कोरर लोकेश र शामिल है। मोणा और मोहम्मद अनीश को डॉ. दीपक राज सौपी गई है। पात्र खिलाड़ियों से ट्रायल के मुख्य समय पर पहुंचने को कहा है।

में गंगापुर सिटी रजत पदक



का सम्मान किया गया।

शहरवासियों ने हर्षोल्लास से अभिनंदन किया। खेल जगत में खुशी का माहौल रहा। प्रशिक्षकों ने कहा कि यह उपलब्धि अन्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनेगी।

दिन हजारों मुसाफिर आते-जाते हैं। उन्हें शुद्ध, शीतल जल देना परिषद की प्राथमिकता है।

यात्रियों के डिब्बों तक पहुंचकर

रामप्रताप, हरि प्रसाद शर्मा, अंजू गोयल, चित्रा गर्ग, सुनीता सिंघल, मीना उपाध्याय, सोनी, दीपिका का सहयोग रहा।

गर्मी में पक्षियों के लिए परिंटे बांधे, शुद्ध जल भरने की शपथ

बौली. उपखंड मुख्यालय पर मंगलवार को भारत विकास परिषद के तत्वावधान में पक्षियों के लिए परिंटे बांधने का कार्यक्रम हुआ। इसमें तहसीलदार दिनेश मोणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीलकमल मोणा, प्रांतीय प्रकल्प प्रभारी बनवारी लाल गोयल, शाखा अध्यक्ष दिनेश सिंघल आदि मौजूद रहे।

एसडीएम कार्यालय परिसर में परिंटे बांधे गए। परिंदों में शुद्ध जल भरा गया। नियमित रूप से जल भरने की शपथ ली गई।

वक्ताओं ने कहा कि गर्मी में पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करना मानवता का महत्वपूर्ण दायित्व है।

परिषद के शाखा गतिविधि संयोजक सेवा गिरीश गौतम ने बताया कि परिषद 'निशुल्क परिंटा अभियान' चला रही है। इसके तहत जरूरतमंद व्यक्ति परिषद के सदस्यों से परिंटा ले सकता है। कार्यक्रम में आमजन से अधिक से अधिक परिंटे लगाने की अपील की। पक्षियों के प्रति संवेदनशील बनने का संदेश दिया गया।

नृसिंह चतुर्दशी महोत्सव आज

सवाईमाधोपुर। श्री नृसिंह चतुर्दशी महोत्सव-2026 गुरुवार को श्री चतुर्भुज जी नाथ मंदिर सब्जी मंडी शहर में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर नृसिंह भगवान का पंचामृत से अभिषेक किया जाएगा।

आम सूचना

मेरी मुवकिल ललिता पत्नी अमर सिंह राठी निवासी पटेल नगर तहसील व जिला सवाई माधोपुर आमजन को सूचित किया जाता है कि मेरा छोटा पुत्र सौरभ कुसंगति में पड़ गया है। सौरभ मेरी पक्षकारा व उसके परिजनों के कहने में नहीं है। गलत संगत व मिथ्या कार्य, गलत व्यवहार एवं आचरण में लिप्त हो रहा है। अतः सौरभ द्वारा किए जा रहे किसी भी कार्य व्यवहार अथवा आचरण के लिए मेरी पक्षकारा व उनके परिवारजन जिम्मेदार नहीं हैं। अतः सूचित रहे।

दिनांक : 28.04.2026

भवदीय - संदीप शर्मा एडवोकेट

कोर्ट परिसर सवाई माधोपुर मो. 9461299653



राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल भीम

प्लॉट संख्या 14-15, मीणा कॉलोनी, जेल के पीछे, सवाई माधोपुर (राज.) 322001

फोन नं. 07462-294921 ई-मेल- rorpcb.swm@gmail.com

क्रमांक: रा.प्र.नि.मं./क्षे.का./स.मा./सं.मा.-886/239-242

दिनांक: 28.04.2026

पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स श्री शिवचरण जाट पुत्र श्री बद्रीलाल जाट (Minor Mineral) कलस्टर खनन परियोजना, प्लॉट नं. 03, एरिया 36.05 हैक्टर, उत्पादन क्षमता 102390.5 TPA (ROM), कलस्टर क्षेत्रफल 84.25 हैक्टर, निकट ग्राम टोरड़ा, तहसील चौध का बरवाड़ा व जिला सवाई माधोपुर के लिए पर्यावरण स्वीकृति के सम्बंध में जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उक्त परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:- (1) कार्यालय जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर। (2) कार्यालय जिला परिषद, सवाई माधोपुर। (3) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सवाई माधोपुर। (4) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना झूंगरी, जयपुर। (5) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर। (6) जिला उद्योग केन्द्र, सवाई माधोपुर। (7) छानि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सवाई माधोपुर। चूंकि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना बाबत भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आदेश की सूचना जारी कर कम से कम 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन-सुनवाई दिनांक 12.06.2026 को ग्राम टोरड़ा, ग्राम पंचायत भगवतगढ़, तहसील चौध का बरवाड़ा के 'भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र' तहसील चौध का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर में समय सुबह 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में लिखित सुझाव/आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन से जनसुनवाई से पूर्व तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, सवाई माधोपुर में भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज्ञा से- (बलजीत मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

are, Mumbai-400013. CIN No. U67190MH2008PLC187552

with rule 8(1) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002)

ad being the Authorized Officer of the TATA Capital Housing
he Securitization and Reconstruction of Financial Assets and
Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under
le 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a
oned below calling upon the Borrowers to repay the amount
in 60 days from the date of the said notice.

to repay the amount, notice is hereby given to the borrower, in general, that the undersigned has taken possession of the below in exercise of powers conferred on him under section 4 of the said Act, and in accordance with the provisions of rule 8 of the said Rules.

and the public in general, are hereby cautioned not to deal with goods with the property will be subject to the charge of the TATA Limited, for an amount referred to below along with interest charges, costs etc. from date mentioned below.

invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, to redeem the secured assets.

Assets/Immovable Properties: All piece & parcels of
 Patta No. 15, Book No. 2187, Situated At Village
 Panchayat Rupaheli Khurd, Tehsil Banera Dist. Bhilwara
 Sq. Fit with all common amenities as mentioned in Patta
 boundaries: East – Rasta, West – Khet (Swayam), North –

**Sd/- Authorised Officer,
For Tata Capital Housing Finance Limited**

h Floor, Tower-B, World Trade Centre,
roji Nagar, New Delhi-110029

Dated: 27.4.2026

**USE (a) OF SUB-SECTION (5) OF
ELECTRICITY ACT, 2003 (the Act)**

rant of a Category-V licence for inter-State
over India has been made before the
inologies Private Limited, F-7, Grafikon
idwa, Pune-411048, Maharashtra, India.

applicant for the grant of an inter-State technologies Private Limited before the Commission's office by following the

le material available on record, the prima facie the applicant qualifies for the trading in electricity and by order dated has proposed to grant a Category-V inter-State trading in electricity in all over

pursuance of clause (a) of sub-section 1(2) of the Electricity Act, 1910, invite suggestions or objections, if any, to the proposed scheme for inter-State trading in electricity as set out in the enclosed copy to be received by the undersigned latest on or before the above noted address. The objections or suggestions received after the specified date shall not be considered.

and the application for final disposal on file the suggestions or objections may be made, for which no TA/DA shall be paid by the applicant.

Sd/-
(Harpreet Singh Pruthi)
Secretary

**Sd/-
(Harpreet Singh Pruthi)
Secretary**

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
जयपुर ग्रामीण/पीएचआर-60/290

क्रमांक : राप्रनिम/क्षे.का/जोधपुर ग्रामीण/पीएचआरयू-60/290

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सुचना
सूचित किया जाता है कि श्री आदु राम, पुत्र श्री मेधा राम के

दिनांक : 27.04.2026

नमस्ते महाराष्ट्र

दिनांक : 27.04.2026

१. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री आदु राम पुत्र श्री मेघा राय, के बलुआ पत्थर खनन परियोजना, प्लॉट नं./QL No/Ref-No 2023/1000887026, छसरान नं. 215/01, हरीज शेकराम 1.00 हेक्टर, कालेठूर शेकराम 31.81 हेक्टर, उपत्यका क्षमता 1,00,000 टोनीए कलेठूर अर्थात हम्यता 20,85,025 टोनीए, निकट ग्राम सिवांग, तहसील-शेरगढ़, जिला-जोधपुर राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राविधिकरण के समक्ष पर्यावरण दृष्टिकोण से विचारित प्रस्तुत किया गया है । 2. चूंकि मैसर्स श्री आदु राम पुत्र श्री मेघा राय, द्वारा उक्त परियोजना की पर्यावरणीय दृष्टिकोण से पूर्ण आवश्यक आश्वासक एवं सुव्याप्त हो अवैध राजस्व तथा पर्यावरण निर्वन्धन मण्डल के क्षेत्रीय कार्यपालक, जोधपुर (राष्ठीय) को समझाया प्रस्तुत किया है । 3. चूंकि उक्त परियोजना हेतु भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्राचयानों के अनुसार एवं इन सुव्याप्त होने हेतु इस आधार की सूचना जारी की गयी है। नोटिफिड डिजायन अनिवार्य है । 4. उक्त परियोजने में संस्थित पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट एवं संचित कार्यपालक का निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:- (1) कार्यपालक जिला कलेठूर, जोधपुर। (2) कार्यपालक तिरोटे एवं संचित कार्यपालक सात फायलाय खनिज अभियांत्रिकी, जोधपुर। (3) पर्यावरण विभाग, राख्मायन सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर, जोधपुर। (4) प्रदेशीय निबंधन मण्डल 4 पर्यावरण भार, संस्थागत सेवा इलाक़ा गुंडी जयपुर। (5) क्षेत्रीय कार्यपालक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, ए-218 बी-216, अरण्य भवन, महात्मा गांधी रोड, झालाना ईस्टीइड्यूशनल परिया जयपुर, राजस्थान। (6) कार्यपालक ग्रास-पंचायत सिवांग, तहसील-शेरगढ़, जिला-जोधपुर के लिए। अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आदु राम पुत्र श्री मेघा राय, की सुव्याप्ति से संबंधित प्रकरण के निपटारे के अंतर्गत् इन सुव्याप्त हेतु दिनांक 02.06.2026 को आदु राम पुत्र श्री मेघा राय, परियोजना की पर्यावरणीय तहसील-शेरगढ़, जिला-जोधपुर में समय अपराह्न 02.00 बजे उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक सुझाव/आलोचना प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में लिखित आदेश/प्रमाण इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंतर राजस्थान प्रमुख पर्यावरण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यपालक, जोधपुर (राष्ठीय) में भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

महोदय
(जगदीश चौधरी)
क्षेत्रीय अधिकारी जोधपुर (ग्रामीण)

प्लॉट संख्या 14-15, मीणा कॉलोनी, जेल के पीछे, सवाई माधोपुर (राज.) 322001
फोन नं: 07462-294921 ई-मेल- rorpcb.swm@gmail.com

क्रमांक: रा.प्र.नि.मं./क्षे.का./स.मा./सं.मा.-886/239-242

दिनांक: 28.04.2026

पर्यावरण स्वीकृती हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स श्री शिवचरण जाट पुत्र श्री बद्रीलाल जाट (Minor Mineral) कलस्टर खनन परियोजना, प्लॉट नं. 03, एरिया 36.05 हेक्टर, उत्पादन क्षमता 102390.5 TPA (ROM), कलस्टर क्षेत्रफल 84.25 हेक्टर, निकट ग्राम टोरड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा व जिला सर्वाई माधोपुर के लिए पर्यावरण स्वीकृति के सम्बंध में जन सुनवाई हेतु आवेदन भय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उक्त परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपापक सार निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है- (1) कार्यालय जिला कलक्टर, सर्वाई माधोपुर। (2) कार्यालय जिला परिषद, सर्वाई माधोपुर। (3) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, सर्वाई माधोपुर। (4) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, संस्थानिक क्षेत्र, झालाणा झूंरी, जयपुर। (5) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर। (6) जिला उद्योग केन्द्र, सर्वाई माधोपुर। (7) खनिज अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, सर्वाई माधोपुर। चूंकि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना बाबत भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14/09/2006 के प्राधान्यों के अनुरूप में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर कम से कम 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन-सुनवाई दिनांक 12.06.2026 को ग्राम टोरड़ा, ग्राम पंचायत भगवतगढ़, तहसील चौथ का बरवाड़ा के "भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र" तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सर्वाई माधोपुर में समय सुबह 11:00 बजे उपस्थित होकर अपने सुझाव /आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं। इस संबंध में लिखित सुझाव/आक्षेप दिनांक 12.06.2026 के प्रकाशन से जनसुनवाई से पूर्व तक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, सर्वाई माधोपुर में भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

आपने से (बलजीत खीमान) क्षेत्रीय अधिकारी

आज्ञा से- (बलजीत मीणा) क्षेत्रीय अधिकारी

AU SMALL FINANCE BANK LIMITED

INFORMATION NOTICE

The below mentioned Borrowers & Co-Borrowers are informed to remove their movable assets from the mortgaged property (mentioned in the below table) which is going to be sold by AU Small Finance Bank Ltd. (A Scheduled Commercial Bank) through auction proceeding under SARFAESI Act, 2002, otherwise the movable assets would be transferred to any rented location at their own cost and they will also be liable for any damage caused during the shifting, if it is not removed within 15 days. For other queries contact the concerning person as mentioned below.

Loan A/c No. & Name of the Borrower/ Co-Borrower/ Mortgagor/Guarantor	Detail of Mortgaged Property	Contact Person
(A/c No.) L9001060713888361 & L9001060817102145 Gyan Singh Rawat S/O Mangal Singh Rawat (Borrower), Meena W/O/D/O/S/O Gyan Singh (Co-Borrower)	Property Situated Patta .no. 9, book.no. 1251, sankalp.no. 4, khasra.no.1265, misal.no. 9/15-16, gram- chalnपुरा, panchyara samati asind dist-bhilwara rajasthan	VIJENDRA PAL SINGH 9773358395
(A/c No.) L9001061124284823 & L9001060713893381 Mahesh Sharma S/O Satya Narayan Sharma (Borrower), Smt.Pushpa Devi Sharma (Co- Borrower), Satya Narayan Sharma S/O Ram Chandra (Co- Borrower), Tikam Sharma S/O	(1) Property Situated At East Part Of Plot No. 129, Purnawas Colony, Ambapura, Dolta, Te.- Deoli, Dist.- Tonk, Rajasthan, (2) Property Situated At Plot No. 131 (North Part) Purnawas Colony, Ambapura, Dolta, Te.- Deoli, Dist.- Tonk,	RAJKUMAR BAJIA 9116621297